# प्रथम सूचना रिपोर्ट

( अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यू.टोंक(राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2022
प्र.ई.रि.सं. 391/22 दिनांक 24.09.2022

2.–(1) अधिनियम भ्र0नि0(संशोधन) अधि0 2018 धारायें ..... 7.....
(2) अधिनियम..... धारायें .....
(3) अधिनियम..... धारायें.....
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 465 समय 6:05 pm
(ब) अपराध के घटने का दिन :– सोमवार, दिनांक 23.09.2022, समय 4.27 पी0एम0
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 23.09.2022, समय 02.05 पीए0एम0

4.–सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब उत्तर–पूर्व 200 मीटर चौकी हाजा ए.सी.बी.,टोंक से
(ब) पता–न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक .....बीट सं....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना .....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– **श्री आरिफ पुत्र श्री फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 36 साल निवासी डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक**
(ब).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(स).–पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.
(द).–व्यवसाय :– खेती ।

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री लालचन्द जाति रेगर उम्र 40 साल निवासी मकान नम्बर 15, चन्द्रलोक होटल के पास, चन्द्रलोक नगर, टोंक हाल वरिष्ठ सहायक (रीडर) न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, टोंक**

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– .....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):– ट्रेप राशि रूपयें 12,000/– रूपये

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 12,000/–रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो ).....

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ( अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक

विषय :– रिश्वत लेते पकडवाने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं आरिफ पुत्र श्री फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 36 साल निवासी डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक का निवासी हुं। हमारे पैतृक सम्पति विवाद चल रहा है, जिसके सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू में प्रकरण संख्या 79/2018 में दिनांक 13.

06.2019 को हमारे खिलाफ निर्णय पारित हुआ था, जिसमें हमनें वर्ष 2021 में उक्त निर्णय के सम्बन्ध में राजस्व अपील अधिकारी (आर0ए00ए0) टोंक में अपील की है। उक्त प्रकरण में अभी तक भी कोई निर्णय नहीं हुआ है, जिस पर मैनें लक्ष्मीनारायण रीडर से जाकर मेरे प्रकरण के सम्बन्ध में वार्ता की तो उसने प्रकरण में मेरी मदद कर निर्णय मेरे पक्ष में करवाने की एवज में 15 हजार रूपये की मांग की, मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हुं, बल्कि रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। मेरी लक्ष्मीनारायण रीडर से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन–देन नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी
आरिफ पुत्र श्री फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 36 साल
निवासी डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक
मो. न. 9982715244

**कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक**

**दिनांक 23.09.2022 समय 02.05 पी0एम0 पर** परिवादी आरिफ पुत्र श्री फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 36 साल निवासी डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक मय अपने दोस्त मुंशी भाई पुत्र बंदू खां जाति मुसलमान उम्र 49 साल निवासी डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक के उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् राजेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "हमारे पैतृक सम्पति विवाद चल रहा है, जिसके सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू में प्रकरण संख्या 79/2018 में दिनांक 13.06.2019 को हमारे खिलाफ निर्णय पारित हुआ था, जिसमें हमनें वर्ष 2021 में उक्त निर्णय के सम्बन्ध में राजस्व अपील अधिकारी (आर0ए00ए0) टोंक में अपील की है। उक्त प्रकरण में अभी तक भी कोई निर्णय नहीं हुआ है, जिस पर मैनें लक्ष्मीनारायण रीडर से जाकर मेरे प्रकरण के सम्बन्ध में वार्ता की तो उसने प्रकरण में मेरी मदद कर निर्णय मेरे पक्ष में करवाने की एवज में 15 हजार रूपये की मांग की, मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हुं, बल्कि रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। मेरी लक्ष्मीनारायण रीडर से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन–देन नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।" प्रार्थना पत्र परिवादी आरिफ व उसके मित्र को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलिपि में लिखा होकर स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित करना बताया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि "मेरे पिताजी के हम दो लड़के व 6 लड़कियां है, इस प्रकार हम कुल 8 भाई–बहिन है। मेरे भाई अख्तर अली एवं 4 बहनों ने पिजाती को विश्वास में लेकर उपखण्ड न्यायालय पीपलू में पंजीबद्ध प्रकरण संख्या 79/2018 में दिनांक 23.06.2019 को डिक्री करवाकर हमारी पैतृक सम्पति को स्वयं के नाम करवा लिया। जब मुझे व मेरी दो बहनों (बतूल व जैतून) को इस बाबत् पता चला तो हमनें जूलाई 2021 राजस्व अपील अधिकारी टोंक में अपील कर दी। उक्त प्रकरण में अभी तक भी तारीख पर तारीख दी जा रही है, प्रकरण में कोई निर्णय नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैनें न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के रीडर श्री लक्ष्मीनारायण से सम्पर्क किया तो उन्होनें प्रकरण में मदद कर शीघ्र ही निर्णय मेरे पक्ष में करवाने की एवज में 15 हजार रूपये की मांग की है, मैं ऐसे रिश्वतखोरों को रिश्वत नही देना चाहता हुँ बल्कि रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ।" परिवादी ने स्वयं के आधार कार्ड एवं उक्त प्रकरण में लिये गये स्टे से सम्बन्धित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति पेश की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गयी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया से कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईश की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि "मेरे प्रकरण में दिनांक 10.10.2022 को निर्णय होना है,

इसलिए मुझे आज ही लक्ष्मीनारायण जी रीडर साहब से मिलना है, मैं अभी लक्ष्मीनारायण जी से मिलकर रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता कर लूगां।" अतः कानि0 जलसिंह को तलबकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया, मांग सत्यापन करवाने के सम्बन्ध में आवश्यक समझाईस कर परिवादीगण एवं जलसिंह को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक रवाना किया गया। **समय 3.30 पी0एम0 पर** श्री जलसिंह कानि0 248 मय परिवादी उप0 कार्यालय आये तथा मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया। परिवादी आरिफ ने बताया कि "मैं, मुंशी भाई तथा जलसिंह जी कानिस्टेबल एसीबी चौकी टोंक से रवाना होकर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भवन के पास पहुंचे, जहां पर जलसिह जी ने मुझे वॉयस रिकार्डर चालू करके दे दिया तथा वो बाहर ही खडे हो गये, मैं तथा मुंशी भाई वहां से रवाना होकर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कार्यालय में पहुंचे, जहां पर लक्ष्मीनारायण जी रीडर साहब बैठे हुये थे, उनके पास और भी व्यक्ति और वकील खड़े थे। थोड़ी देर बाद सभी के जाने के बाद लक्ष्मीनारायण जी ने हमें ईशारे से अपने पास बुला लिया, मैनें मेरी अपील के निर्णय के लिए उनसे बात की तथा खर्चे के लिए पुछा तो उन्होनें 15 हजार रूपये बताया, जिस पर मैनें उन्हें 10 हजार रूपये देने की हां की, लेकिन वो नहीं माने, उन्होने 12 हजार रूपये की मांग की। मैनें 12 हजार रूपये की हां कर ली। मैनें एटीएम से पैसे निकालकर कुछ देर बाद देने की कह कर बाहर जलसिंह जी के पास आ गया तथा वॉयस रिकार्डर जलसिंह जी को सुपुर्द कर दिया, जिन्होनें मेरे से वॉयस रिकार्डर लेकर बन्द कर अपने पास रख लिया तथा हम वहां से रवाना होकर एसीबी कार्यालय आ गये।" कानिस्टेबल जलसिह ने परिवादी के कथनों की ताईद करते हुये बताया कि "हम एसीबी चौकी से रवाना होकर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कार्यालय टोंक पहुंचे, जहां पर मैनें वॉयस रिकार्डर चालूकर परिवादी व सहपरिवादी को देकर लक्ष्मीनारायण के पास रवाना किया तथा मैं बाहर ही खड़ा रहा, थोड़ी देर बाद परिवादी व सहपरिवादी मेरे पास आये, परिवादी आरिफ ने मुझे वॉयस रिकार्डर पेश किया जो मैनें बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा वहां से रवाना होकर एसीबी कार्यालय आये है। मांग सत्यापन वार्ता से सम्बन्धित वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो मांग सत्यापन होना पाया गया। जिस पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने से उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग टोंक के नाम तहरीर मुर्तिब कर गवाह तलब करने हेतु श्री राजकुमार कानि0 160 को रवाना किया गया। **समय 4.00 पी0एम0 पर** राजकुमार कानि0 160 मय स्वतंत्र गवाह 1– श्री रामधन जाट, वरिष्ठ सहायक राज्य बीमा एवं प्रावद्यायी विभाग टोंक एवं 2–श्री बृजमोहन बैरवा सूचना सहायक राज्य बीमा एवं प्रावद्यायी विभाग टोंक के उपस्थित आये। दोनों गवाहान व परिवादीगण का आपस में परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी सहमती दी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2022 गवाहान को पढाया गया, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाकर गवाहान को मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये। गवाहान, परिवादीगण व स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित वॉयस रिकार्डर को स्वयं के पास ही सुरक्षित रखा गया। समय 4.10 पी0एम0 पर परिवादी आरिफ को आरोपी लक्ष्मीनारायण को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु निर्देशित करने पर परिवादी ने अपने पास से 2000 रूपये का एक नोट, 500–500 रूपये के 20 नोट कुल राशि 12,000 रूपये भारतीय मुद्रा के प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा पेश उक्त समस्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों के दोनों तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर श्री गणेश सिंह कानि0 चालक 375 से लगवाया जाकर पाउडर लगे नोट 12,000/–रूपये को परिवादी के शरीर पर पहने हुये कुर्ते की दाहिनी जेब में कोई शेष नहीं छोडते हुए गणेश सिंह

कानि से रखवाये गये। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया दृष्टान्त देकर समझाई गई। परिवादी आरिफ को रिश्वत लेन–देन का ईशारा अपने सिर पर साफी बांधने की समझाईश की गई एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 4.22 पी0एम0 पर लेन–देन वार्ता रिकार्ड करवाने हेतु एक वॉयस रिकार्डर में खाली मेमोरी कार्ड डालकर श्री जलसिंह कानि0 से वॉयस रिकार्डर चालूकर परिवादी को सुपुर्द करवाकर परिवादी एवं सहपरिवादी को स्वयं की मोटर साईकिल से, मनोज कुमार हैड कानि0 119 व गवाह श्री बृजमोहन को स्वयं की मोटर साईकिल से, मोहम्मद जुनैद हैड कानि0 32 व अजीत सिंह कानि0 56 को मोहम्द जुनैद की मोटर साईकिल से, जलसिंह कानि0 248 को स्वयं की मोटर साईकिल से रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ सर्वश्री ईश्वर प्रकाश कानि0 256 व राजकुमार कानि0 160 एवं स्वतंत्र गवाह रामधन जाट तथा तैयारशुदा ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटॉप के प्राईवेट वाहन से न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, टोंक के लिए रवाना समय 4.25 पी0एम0 पर न्यायालय परिसर टोंक में स्थित न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, टोंक के पास पहुंचा, तथा सभी स्टाफ अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुये, निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकिम हुये। समय 4.27 पीएम पर परिवादी श्री आरिफ ने अपने सिर पर साफी बांधते हुये रिश्वत राशि प्राप्ति का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पास पहुंचा, परिवादी ने वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया, परिवादी ने बताया कि लक्ष्मीनारायण जी ने रिश्वत राशि अपनी टेबल की दराज में रखवायी है। वॉयस रिकार्डर को जलसिंह कानि0 से बन्द करवाकर सुरक्षित अपने पास रख गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी श्री आरिफ एवं सहपरिवादी मुंशीभाई को हमराह लेकर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कक्ष में पहुंचा तो न्यायालय डाईस के दाहिनी तरफ एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया, उक्त व्यक्ति को मैनें अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री लालचन्द जाति रेगर उम्र 40 साल निवासी मकान नम्बर 15, चन्द्रलोक होटल के पास, टोंक हाल वरिष्ठ सहायक (रीडर) न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, टोंक होना बताया। श्री लक्ष्मीनारायण को परिवादी आरिफ से प्राप्त की गयी रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो वह घबरा गया तथा बोला कि "**मैनें किसी से कोई रिश्वत नहीं ली है।**" इस पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि "**लक्ष्मीनारायण जी झुंठ बोल रहे है, उपखण्ड अधिकारी पीपलू द्वारा दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में जूलाई 2021 से मेरी एक अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक में लम्बित चल रही है, उक्त अपील में मुझे तारीख पर तारीख दी जा रही है, उसमें कोई निर्णय नहीं हो रहा। मेरे प्रकरण में निर्णय करवाने के लिए जब मैं इन लक्ष्मीनारायण जी रीडर से मिला तो इन्होनें मेरे प्रकरण में मदद कर निर्णय मेरे पक्ष में करवाने की एवज में 15 हजार रूपये की मांग की थी, आज दिन में जब मैं इनसे मिला तब भी इन्होनें 15 हजार रूपये की मांग कर 12 हजार रूपये लेने पर राजी हुये थे, इनकी मांग के अनुसार ही मैनें अभी इन्हें 12 हजार रूपये दिये है, जो इन्होनें हाथ के ईशारे से इनकी टेबल की दराज में रखवा लिये।**" इस पर लक्ष्मीनारायण घबरा गया तथा पुनः पुछने पर बोला कि " **आरिफ आज दिन में मेरे से मिलने आया था, तब भी मैनें इससे कोई रिश्वत की मांग नहीं की, इसने ही मुझे रूपये देने के लिए कहा था, मैनें इनसे कोई रिश्वत की मांग नहीं की, अभी भी इन्होनें रूपये लाकर मेरी टेबल की दराज में रख दिये।**" इस पर परिवादी ने स्वतः ही बताया कि "**आज दिन में मेरे काम के बदले इन्होनें 15 हजार रूपये बताये थे, जिस पर मैनें इन्हें 10 हजार के लिए कहा लेकिन यह नहीं माने इन्होनें 12 हजार रूपये लेना तय किया। इनकी मांग के अनुसार ही अभी मैनें इन्हें 12 हजार रूपये देने चाहे, लेकिन इन्होनें बात करते–करते ही अपनी टेबल की दराज खोल दी तथा हाथ के ईशारे से रूपये दराज में रखवा लिये, मैनें पैसे दराज में**

**रख दिये तथा बाहर आकर आपको ईशारा कर दिया।**" मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने लेन–देन वार्ता से सम्बन्धित वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना तो परिवादी के कथनों की ताईद हुयी। इस पर टेबल की दराज को गवाहान से खुलवाकर दिखवाया तो उसमें एक दो हजार रूपये के नोट में कुछ 500–500 रूपये के नोट लिपटे हुये दिखाई दिये, उक्त नोटों को गवाह श्री रामधन से उठवाया जाकर दोनों गवाहान से गिनवाये तो दो हजार रूपये का एक नोट एवं 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 12,000 रूपये होना पाये गये। जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | एक नोट 2000 रूपये नम्बरी | 6FU | 903568 |
| 2. | एक नोट 500 रूपये नम्बरी | 9FL | 713568 |
| 3. | एक नोट 500 रूपये नम्बरी | 3CA | 991428 |
| 4. | एक नोट 500 रूपये नम्बरी | 4MB | 479594 |
| 5. | एक नोट 500 रूपये नम्बरी | 5UA | 149302 |
| 6. | एक नोट 500 रूपये नम्बरी | 9CT | 563370 |
| 7. | एक नोट 500 रूपये नम्बरी | 4PT | 107322 |
| 8. | एक नोट 500 रूपये नम्बरी | 4GK | 043799 |
| 9. | एक नोट 500 रूपये नम्बरी | 4LQ | 875527 |
| 10. | एक नोट 500 रूपये नम्बरी | 9EG | 651997 |
| 11. | एक नोट 500 रूपये नम्बरी | 1QT | 386687 |
| 12. | एक नोट 500 रूपये नम्बरी | 5TC | 566428 |
| 13. | एक नोट 500 रूपये नम्बरी | 2VC | 118315 |
| 14. | एक नोट 500 रूपये नम्बरी | 6WS | 696983 |
| 15. | एक नोट 500 रूपये नम्बरी | 1BM | 267233 |
| 16. | एक नोट 500 रूपये नम्बरी | 3NR | 462018 |
| 17. | एक नोट 500 रूपये नम्बरी | 4QA | 034039 |
| 18. | एक नोट 500 रूपये नम्बरी | 7CB | 144973 |
| 19. | एक नोट 500 रूपये नम्बरी | 0CT | 397267 |
| 20. | एक नोट 500 रूपये नम्बरी | 0VR | 873121 |
| 21. | एक नोट 500 रूपये नम्बरी | 2AQ | 006239 |

उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया। उक्त रिश्वती राशी के नोटों को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क–**एन** अंकित कर कागज पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। आरोपी लक्ष्मीनारायण की टेबल की दराज जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी उक्त दराज के धोवण हेतु एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। दराज का उक्त स्थान जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी को रूई के पोहे से साफ कर पोहे को उक्त तैयारशुदा घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क सी–1, सी–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया।

उक्त रूई (कॉटन) को सुखाकर एक सफेद कपड़े की थैली में सिल्ड चिट कर मार्क–**सी** अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी लक्ष्मीनारायण को परिवादी से सम्बन्धित पत्रावली पेश करने हेतु कहने पर उसने कार्यालय रिकार्ड से अपील संख्या 43/2021 अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटी एक्ट आरिफ बनाम अख्तर अली पेश की। घटनास्थल न्यायालय परिसर भीड़भाड़ का क्षैत्र होने एवं एसीबी कार्यालय नजदीक ही होने से कार्यवाही में सुरक्षा की दृष्टि से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही स्टाफ, स्वतंत्र गवाहान, आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण मय जब्तशुदा आर्टिकल्स के तथा न्यायालय कर्मचारी श्री हबीब खां को परिवादी की पत्रावली सहित हमराह लेकर रवाना होकर इस समय एसीबी कार्यालय टोंक पहुंच अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। परिवादी से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि परिवादी श्री आरिफ ने अपने वकील के मार्फत दिनांक 29.07.2021 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू के प्रकरण संख्या 79/2018 निर्णय दिनांक 13.06.2019 के विरूद्ध अपील दर्ज करवायी थी। जिसमें अब तक 18 बार तारीख पेशी हो चुकी है एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.10.2022 नियत है, पत्रावली अभी तक बहस में ही लम्बित है। उक्त पत्रावली की फोटोप्रति करवायी जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया, मूल पत्रावली आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः कार्यालय में भिजवाने हेतु श्री हबीब खां, कर्मचारी को सुपुर्द की गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। **समय 06.15 पी0एम0 पर** आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण रेगर, वरिष्ठ सहायक (रीडर) न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, टोंक को उसके उक्त जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कराते हुए हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। समय 6.50 पीएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। इसके पश्चात् आरोपी के टोंक स्थित रिहायशी मकान की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब की गयी। इसके पश्चात् **समय 8.30 पी0एम0 पर** सुरक्षित रखे गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री जलसिंह कानि0 248 से टाईप करवाकर तैयार की गई। इसी दौरान आरोपी को खाना खिलाकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर सुरक्षार्थ पुलिस थाना कोतवाली भिजवाया गया। **समय 10.00 पी0एम0 पर** रिश्वत लेन–देन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर दिनांक 23.09.2022 को परिवादीगण व आरोपी के बीच रिश्वत लेन–देन के वक्त रूबरू वार्ता को परिवादीगण व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट श्री जलसिंह कानि0 248 से टाईप करवाकर तैयार की गई। **समय 10.30 पी0एम0 पर** रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता को 3 पेन ड्राईव में कॉपी कर 2 पेन ड्राईव को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क **ए–1,ए–2** अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक पेन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी हेतु लिफाफे में रखकर शामिल पत्रावली किया गया। **10.50 पी0एम0 पर** रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड 8–16 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफैद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क **"एम"** अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। **समय 11.10 पी0एम0 पर** स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नाशानी सील मुर्तिब की गई एवं स्वतंत्र गवाह व परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। **समय 11.35 पी0एम0 पर** ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित मालखाना

जब्तशुदा व सिल्डशुदा आर्टिकल्स बतौर वजह सबूत जमा मालखाना करवाये गये। **समय 11.50 पी0एम0 पर** रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता की पेन ड्राईव तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रंनिंग नोट, फर्दात् से आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण रेगर, वरिष्ठ सहायक (रीडर) न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, टोंक ने लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी श्री आरिफ से न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक में लम्बित उसकी अपील संख्या 43/2021 में मदद कर निर्णय पक्ष में करवाने की एवज में वक्त मांग सत्यापन 15 हजार रूपये की मांग कर 12,000 रूपये लेना तय किया तथा अपनी मांग के अनुसरण में दौरानें ट्रेप कार्यवाही 12,000 रूपये रिश्वत राशि अपने टेबल की दराज में रखवाकर ग्रहण की, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशो) 2018 जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया।

अतः श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री लालचन्द जाति रेगर उम्र 40 साल निवासी मकान नम्बर 15, चन्द्रलोक होटल के पास, चन्द्रलोक नगर, टोंक हाल वरिष्ठ सहायक (रीडर) न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, टोंक के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमाकंन सादर प्रेषित है।

**(राजेश आर्य)**
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ,टोंक

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री लालचन्द, वरिष्ठ सहायक (रीडर) राजस्व अपील अधिकारी जिला टोंक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 381/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

24.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 3305-09 दिनांक 24.09.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक।

24.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।